

जनहित में जारी



क्या आप
जानते हैं



होम-क्वारेन्टीन के नियमों का
पालन न करना
अपराध की श्रेणी में आता है।



इन नियमों का पालन न करने
पर भारतीय दंड संहिता की
धारा 269, 270, 188 और
एपिडेमिक एक्ट 1897 के
सेक्शन 3 की धाराओं के तहत
कार्रवाई की जा सकती है।

घर पर ही रहें, हम सब साथ मिलकर COVID-19 से लड़ सकते हैं।



अधिक जानकारी एवं शिकायत के लिए 104 पर कॉल करें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़